सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

97वाँ प्रतिवेदन

(पंचायती राज विभाग)

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)।

(दिनांक 28 मार्च, 2023 ई० को सदन में उपस्थापित)।

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
1. शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा शून्यकाल समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	क
2. प्राक्कथन	ख
3. प्रतिवेदन	1-2
4. परिशिष्ट	3-8

बिहार विधान सभा कर शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री नीतीश मिश्रा — स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री निरंजन राय — स०वि०स०
2. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन — स०वि०स०
3. श्री राजेश कुमार सिंह — स०वि०स०
4. श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन — स०वि०स०
5. श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया — स०वि०स०
6. श्री अरूण सिंह — स०वि०स०
7. श्री आलोक रंजन — स०वि०स०
8. श्री अचमित ऋषिदेव — स०वि०स०
9. श्री देवेश कांत सिंह — स०वि०स०
10. श्री केदार प्रसाद गुप्ता — स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1. श्री पवन कुमार पांडेय — प्रभारी सचिव
2. श्री असीम कुमार — निदेशक
3. श्री अभय शंकर राय — उप-सचिव
4. श्री सुधांशु राय — प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्रीमती सुषमा — सहायक
6. श्रीमती उषा कुमारी — सहायक

प्राक्कथन

मैं सभापति, शून्यकाल समिति, बिहार विधान-सभा, पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में पंचायती राज विभाग संबंधित द्वितीय सत्र के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री मिश्री लाल यादव, स०वि०स०, श्री महबूब आलम, स०वि०स० एवं श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स०, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स० एवं श्री गोपाल रविदास, स०वि०स० द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 97 वॉं प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

पंचायती राज विभाग विभाग से संबंधित उपर वर्णित माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया है ।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

नीतीश मिश्रा,

सभापति,

शून्यकाल समिति,

बिहार विधान सभा ।

प्रतिवेदन

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में पंचायती राज विभाग से संबंधित पूछे गये कुल शून्यकाल सूचनाओं की संख्या 14 है । जिसमें से अभीतक 06 माननीय सदस्यों के शून्यकाल सूचनाओं का उत्तर बिहार विधान सभा को प्राप्त हुआ है । शून्यकाल समिति की समीक्षा बैठकों में कुल 06 शून्यकाल सूचनाओं के उत्तर को कार्यान्वित माना गया है । जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	माननीय सदस्यों के नाम	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि	विभाग को भेजे गये पत्रांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक एवं दिनांक
1	श्री अरूण शंकर प्रसाद	राज्य में ग्राम रक्षा दल सभी जिला में रात्रि प्रहरी का काम कर रही है । युवा वर्ग स्वयंसेवक के रूप में इस कार्य में लगे हुये हैं । सुरक्षा को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी की दर से इन्हें मानदेय भुगतान करने की मांग के संबंध में ।	03.03.2021	09/21-861 13.03.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक 2314, दिनांक 9 अप्रील, 2021 से उत्तर प्राप्त (परिशिष्ट-1)
2	श्री मिश्री लाल यादव	दरभंगा जिला के तारडीह प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुर्सी मछैता का पंचायत सरकार भवन कई महीनों से बनकर तैयार है। पंचायत को सुपुर्द नहीं किया गया है । पंचायत सरकार भवन को पंचायत को सुपुर्द करने तथा नहीं करने के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में ।	03.03.2021	09/21-859 13.03.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक 4431, दिनांक 10 अगस्त, 2021 से उत्तर प्राप्त (परिशिष्ट-2)
3	श्री महबूब आलम	बिहार में पंचायतों के सरपंच सचिवों का न्यूनतम मानदेय 21,000/ रुपये करने की मांग के संबंध में ।	15.03.2021	16/21-1060 25.03.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक 4449, दिनांक 11 अगस्त, 2021 से उत्तर प्राप्त (परिशिष्ट-3)

4	श्री पवन कुमार जायसवाल	राज्य में मुखिया, उप-मुखिया, सरपंच, उप-सरपंच, वार्ड सदस्य वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य जिला पार्षद प्रमुख उप-प्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिला परिषद को दिये जाने वाले मानदेय में महंगाई को देखते हुये दो गुणा वृद्धि करने की मांग के संबंध में ।	16.03.2021	17/21-1198 06.04.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक 4448, दिनांक 11 अगस्त, 2021 से उत्तर प्राप्त (परिशिष्ट-4)
5	श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव	राज्य के पंचायत वार्ड सचिव को अनुरक्षक पद पर बहाल करते हुये सरकारी कर्मी का दर्जा देने के संबंध में ।	19.03.2021	20/21-1289 09.04.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक 1323, दिनांक 23 फरवरी, 2022 से उत्तर प्राप्त (परिशिष्ट-5)
6	श्री गोपाल रविदास	बिहार के सभी स्कूलों को नल-जल योजना से जोड़ने के संबंध में ।	23.03.2021	21/21-1441 28.04.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक 1322, दिनांक 23 फरवरी, 2022 से उत्तर प्राप्त (परिशिष्ट-6)

शून्यकाल सूचनाओं का प्रति उत्तर विभाग द्वारा ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में शून्यकाल के विषय अप्रासंगिक हो जाता है । सदन में उठाये गये शून्यकाल का विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण लोक महत्व का होने के साथ-साथ तात्कालिक होता है । ऐसी स्थिति में समिति कि भविष्य में विभाग द्वारा ससमय शून्यकाल सूचनाओं का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा रखती है ।

सभापति,

नीतीश मिश्रा,

शून्यकाल समिति,

बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट-I

पंचायती राज विभाग

बिहार सरकार

श्री अरूण शंकर प्रसाद माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना ।

प्रश्न-- क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में ग्राम रक्षा दल सभी जिला में रात्रि प्रहरी का काम कर रही है, युवा वर्ग स्वयंसेवक के रूप में इस कार्य में लगे हुये है, सुरक्षा को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी की दर से इन्हें मानदेय भुगतान करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, कर्तव्य एवं व्यवहार) नियमावली, 2004 के नियम 3 के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के अधीन ग्राम रक्षा दल एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य करता है । दल के सभी सदस्यों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं दलपति की कार्यावधि 5 वर्षों की होती है । चूँकि ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बीच के सभी योग्य व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं एवं यह एक स्वयंसेवी संगठन है । अतएव इनके न्यूनतम मजदूरों की दर से इन्हें मानदेय का लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

परिशिष्ट-II

पंचायती राज विभाग

बिहार सरकार

श्री मिश्री लाल यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा प्राप्त शून्यकाल की सूचना 09/2021 के उत्तर सामग्री ।

प्रश्न-- क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के तारडीह प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुर्से मछैता का पंचायत सरकार भवन कई महीनों से बन कर तैयार है । पंचायत को सुपूर्द नहीं किया गया है ।

अत: पंचायत सरकार भवन पंचायत को सुपूर्द करने तथा नहीं करने के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

प्रभारी मंत्री--जिलाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 1725, दिनांक 26 जुलाई, 2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तारडीह प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज कुर्सो मछैता में पंचायत सरकार भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है । जिसे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के उपस्थिति में मुखिया/ पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत कुर्सो मछैता को दिनांक 5 जून, 2021 को ही पंचायत सरकार भवन हस्तगत करा दिया गया है ।

परिशिष्ट-III

पंचायती राज विभाग

बिहार सरकार

श्री महबूब आलम, स०वि०स० से प्राप्त ''शून्यकाल की सूचना संख्या 16/2021''

शून्यकाल की सूचना

बिहार में पंचायतों के सरपंच सचिवों का न्यूनतम मानदेय 2100, रुपये करने की मांग करता हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभागीय संकल्प संख्या 3011, दिनांक 19 जून, 2008 द्वारा नियत भत्ता/दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी । कालान्तर में विभागीय संकल्प संख्या 3466, दिनांक 11 जून, 2013 द्वारा इन भत्तों में दुगुनी वृद्धि की गयी । पुन: संकल्प संख्या 2517, दिनांक 5 मई, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रभाव से सरकार ने दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते/ विशेष मानदेय आदि को विलोपित कर पंचायत प्रतिनिधियों के लिये समेकित नियत प्रतिमाह भत्ते की स्वीकृति प्रदान की है । जिसके तहत सरपंच को रु० 2,500/ एवं बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के अनुसार ग्राम कचहरी सचिव को मानदेय 6000.00 प्रतिमाह नियत भत्ता अनुमान्य है ।

परिशिष्ट-IV

पंचायती राज विभाग

बिहार सरकार

श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स० से प्राप्त ''शून्यकाल की सूचना संख्या 17/2021''

शून्यकाल की सूचना

राज्य में मुखिया, उप-मुखिया, सरपंच, उप-सरपंच, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद, उप-प्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिला परिषद् को दिये जाने वाले मानदेय में महँगाई को देखते हुये दो गुणा वृद्धि करने की मांग राज्य सरकार से करता हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विभागीय संकल्प संख्या 3011, दिनांक 19 जून, 2008 द्वारा नियत भत्ता/दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी । कालान्तर में विभागीय संकल्प संख्या 3466, दिनांक 11 जून, 2013 द्वारा इन भत्तों में दुगुनी वृद्धि की गयी । पुन: संकल्प संख्या 2517, दिनांक 5 मई, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रभाव से सरकार ने दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते/ विशेष मानदेय आदि को विलोपित कर पंचायत प्रतिनिधियों के लिये समेकित नियत प्रतिमाह भत्ते की स्वीकृति प्रदान की है । जिसके तहत जिला परिषद् के अध्यक्ष को रु०12,000 एवं उपाध्यक्ष को रु०10,000- पंचायत समिति के प्रमुख को रु०10,000- एवं उप-प्रमुख को रु०50,000-, ग्राम पंचायत के मुखिया को रु०25,00- एवं उप-मुखिया को रु०1,200- ग्राम कचहरी के सरपंच को रु० 2,500- एवं उप-सरपंच को रु०1,200- जिला परिषद् सदस्य को रु०2,500-, पंचायत समिति सदस्य को रु०1,000-, ग्राम पंचायत सदस्य को रु०500- एवं ग्राम कचहरी सदस्य (पंच) को रु०500- प्रतिमाह नियत भत्ता अनुमान्य है । इस प्रकार संकल्प सं०-3011, दिनांक 19 जून, 2008 से लगभग दुगुनी राशि की बढ़ोतरी अद्यतन संकल्प सं० 2517, दिनांक 5 मई, 2015 के द्वारा की गयी है ।

परिशिष्ट-V

पंचायती राज विभाग

बिहार सरकार

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या-20/2021 के संबंध में ।

राज्य के पंचायत वार्ड सचिव को अनुरक्षक पद पर बहाल करते हुये सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग सरकार से करता हूँ ।

<u>विभागीय उत्तर प्रतिवेदन</u>

वस्तुस्थिति यह है कि पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत् दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति से संदर्भित विभागीय संकल्प संख्या 2935, दिनांक 22 जून, 2021 में प्रावधानित है कि समान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे । वार्ड सदस्य की अनिच्छा पर वार्ड सभा, वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकेगी ।

परिशिष्ट-VI

पंचायती राज विभाग

बिहार सरकार

श्री गोपाल रविदास, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या-21/2021 के संबंध में ।

बिहार के सभी स्कूलों को नल-जल योजना से जोड़ने की मांग करता हूँ ।

विभागीय उत्तर प्रतिवेदन

वस्तुस्थिति यह है कि पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत् राज्य के सभी संबंधित जिलों में अवस्थित सरकारी विद्यालयों को नल-जल योजना का संबंधन प्रदान करने संबंधी विभागीय निदेश पत्रांक 7730, दिनांक 7 दिसम्बर, 2020 द्वारा दिया जा चुका है । जिसकी लगातार विभागीय एवं उच्चस्तरीय समीक्षा कर अनुश्रवण किया जा रहा है ।

बि०स०मु० 08-(एल०ए०), 2023-24 डी०टी०पी०-300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023